भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 266
दिनांक 04 फरवरी, 2025

एचटीबीटी बीज

266. श्री संजय हरिभाऊ जाधव:
श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन राजेनिंबालकर:
श्री संजय उत्तमराव देशमुख:
श्री अरविंद गणपत सावंत:

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हर्बिसाइड टॉलरेंट बीटी (एचटीबीटी) कपास, मक्का और सोयाबीन के कीट-प्रतिरोधी बीजों की वर्तमान स्थिति क्या है;
(ख) क्या सरकार ने एचटीबीटी कपास, मक्का और सोयाबीन को स्वीकृति न दिए जाने के कारण किसानों को हो रहे भारी नुकसान का संज्ञान लिया है और यदि हां, तो एचटीबीटी बीजों की स्वीकृति में विलंब के क्या कारण हैं;
(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं और एचटीबीटी बीजों को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है;
(घ) घाटे के कारण किसानों द्वारा आत्महत्या जैसे चरम कदम को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;
(ङ) वर्ष 2001 से अब तक यवतमाल जिले सहित महाराष्ट्र के जिलों में फसल नष्ट होने और हर्बिसाइड कुप्रबंधन के कारण किसानों द्वारा की गई आत्महत्याओं का ब्यौरा क्या है;
(च) सरकार द्वारा इन समस्याओं का समाधान करने और किसानों द्वारा आत्महत्या किए जाने को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
(छ) क्या सरकार के पास इस समस्या के लिए और हर्बिसाइड-प्रबंधन हेतु नई प्रौद्योगिकियों और संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कोई वैकल्पिक नीति या कार्यक्रम है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ज) सरकार द्वारा कपास, मक्का और सोयाबीन को कीटों से बचाने और उनका उत्पादन बढ़ाने के लिए तत्काल क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री
(श्री भागीरथ चौधरी)

(क) से (ग): जी एम फसलों के पर्यावरणीय निर्गमन का मामला भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष क्रमश: रिट याचिका (सिविल) 115/2004 जिसका शीर्षक जीन कैम्पेन बनाम भारत संघ एवं अन्य है तथा रिट याचिका (सिविल) 260/2005 जिसका शीर्षक अरूणा रोड्रिग्स बनाम भारत संघ एवं अन्य है, के अंतर्गत निर्णयाधीन है, जिसमें जी एम फसलों के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है।

(घ) से (च): भारत सरकार उचित नीतिगत उपायों, बजटीय आबंटन और अनेक योजनाओं/ कार्यक्रमों जैसे फसल प्रदर्शन और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से ग्राम स्तर पर जागरूकता अभियान के माध्यम से राज्यों के प्रयासों को सहायता प्रदान करती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, नमो (NAMO) किसान योजना एवं एकीकृत फसल प्रबंधन पद्धतियों का अंगीकरण जैसी भारत सरकार की विभिन्न योजनाएं/कार्यक्रम उत्पादन, लाभकारी आवक और किसानों की आय को बढ़ाना, किसानों के कल्याण के लिए हैं। भारत सरकार ने कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के बजट आवंटन को वर्ष 2024-25 के दौरान रु. 1,22,528.77 करोड़ बीई करके व्यापक वृद्धि की है, जो कि वर्ष 2013-14 के दौरान रु. 21933.50 करोड़ बीई था।

किसानों द्वारा की गई आत्महत्या से संबद्ध आंकड़े/ विवरण संबंधित राज्य सरकारों द्वारा रखे जाते हैं।

(छ) एवं (ज): भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के तत्वावधान में राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली ने अपने संस्थानों और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से उन्नत गुणवत्ता वाले विभिन्न जैविक और अजैविक दबावों के प्रति सहनशील नई किस्में/ संकर किस्में विकसित की हैं। पिछले दस वर्षों (2014-2024) के दौरान सोयाबीन की 92 किस्में, मक्के की 239 किस्में तथा कॉटन/ बीटी कॉटन की 331 किस्में जारी की जा चुकी हैं और इनकी व्यावसायिक खेती (कल्टीवेशन) की सिफारिश की गई है। देश के किसानों के लिए स्थान विशिष्ट उच्च उपज देने वाली किस्मों और उनके प्रबंधन की प्रौद्योगिकियों तथा इन किस्मों की पद्धतियों की संस्तुति नियमित रूप से की जाती है। कपास, मक्का और सोयाबीन में विभिन्न खरपतवार प्रबंधन प्रौद्योगिकियों के साथ-साथ मौजूदा मैकेनिकल (यांत्रिक) और रासायनिक खरपतवार नियंत्रण कार्यनीतियां विकसित की गई हैं और इन्हें कृषि विज्ञान केंद्रों, राज्य कृषि विभागों, दूरदर्शन, मोबाईल ऐप आदि जैसे आईसीटी उपकरणों के माध्यम से बड़े पैमाने पर अपनाए जाने के लिए किसानों के बीच प्रसारित किया गया है।

****